उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या-4/2023/09(1)/23-2-23-06(सा0)/2023

लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च 2023

<u>शुद्धि- पत्र</u>

लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-2/2023/90/23-2-23/001-06(सा)/2023, दिनांक 07.03.2023 द्वारा जनपद महराजगंज में सौनौली-नौतनवां-गोरखपुर मार्ग एन0एच0-24(29 ई) अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्ग एवं जनपद चित्रकूट में सतना-चित्रकूट-कर्वी अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बहुउद्देशीय हब के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु प्रथम किश्त के रूप में उक्त दोनों परियोजना हेतु अनुमानित धनराशि का 25 प्रतिशत क्रमश: धनराशि रू0 977.2525 लाख एवं धनराशि रू0 1293.301 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 2270.5535 लाख (रूपये बाईस करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार तीन सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त निर्गत शासनादेश में जनपद महराजगंज में सौनौली-नौतनवां-गोरखपुर मार्ग एन0एच0-24(29 ई) पर अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बहुउद्देशीय हब के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि रू0 3909.01 लाख एवं जनपद चित्रकूट में सतना-चित्रकूट-कर्वी मार्ग पर अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बहुउद्देशीय हब के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि रू0 5173.204 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 9082.214 लाख (रूपये नब्बे करोड़ बयासी लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में उक्त दोनो परियोजना हेतु अनुमानित धनराशि का 25 प्रतिशत क्रमश: धनराशि रू0- 977.2525 लाख एवं धनराशि रू0- 1293.301 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 2270.5535 लाख (रूपये बाईस करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार तीन सौ पचास मात्र के स्थान पर टंकण त्रुटिवश जनपद महराजगंज में सौनौली-नौतनवां-गोरखपुर मार्ग एन0एच0-24(29 ई) मार्ग के भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि रू0 3909.01 लाख एवं जनपद चित्रकूट में सतना-चित्रकूट-कर्वी मार्ग के भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि रू0 5173.204 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 9082.214 लाख (रूपये नब्बे करोड़ बयासी लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में उक्त दोनो धनराशि का 25 प्रतिशत क्रमश: धनराशि रू0 977.25225 लाख एवं धनराशि रू0 129.301 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 2270.5535 लाख (रूपये बाईस करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार तीन सौ पचास मात्र) अंकित हो गया है।

3- अत: उक्त शासनादेश दिनांक 07.03.2023 के प्रस्तर-1 में टंकण त्रुटिवश अंकित उक्त तथ्य के स्थान पर जनपद महराजगंज में सौनौली-नौतनवां-गोरखपुर मार्ग एन0एच0-24(29 ई) पर अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बहुउद्देशीय हब के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि रू0 3909.01 लाख एवं जनपद चित्रकूट में सतना-चित्रकूट-कर्वी मार्ग पर अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बहुउद्देशीय हब के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिग्रहण हेतु धनराशि रू0 5173.204 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 9082.214 लाख (रूपये नब्बे करोड़ बयासी लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में उक्त दोनों परियोजना हेतु अनुमानित धनराशि का 25 प्रतिशत क्रमशः धनराशि रू0- 977.2525 लाख एवं धनराशि रू0- 1293.301 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 2270.5535 लाख (रूपये बाईस करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार तीन सौ पचास मात्र) पढ़ा जाय।

4- उक्त शासनादेश संख्या-2/2023/90/23-2-23/001-06(सा)/2023, दिनांक 07.03.2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(अभय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-90(1)/23-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर/चित्रकूट क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर/चित्रकूट।
6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महराजगंज।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10
11- वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाईल।

(आज्ञा से)

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।